

पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि) /

854 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 28 मार्च, 2026

समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने
विषयक।

कृपया मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जाए तथा विवरण मुख्यालय को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए। उक्त योजना में अंकित समास्त प्रकरणों का तत्काल नियमानुसार निस्तारण कराया जाए तथा अद्यतन सूचना दि0- 31.03.2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, आयुक्त कैम्प, मुख्यालय को आयुक्त, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
3. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त खण्डाधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

श्री. रती पूर्णिमा
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक... 28-3-26

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।